



आशादीप संस्थान

Asha deep Sansthan

22
 20/202, Kaveri Path, Mansarovar,
 Jaipur - 302020 Raj. (India)
 Project Office : 164/113 Sector 16 Haldi
 Ghati Marg, Pratap Nagar, Jaipur-302033
 +91 - 9887695733
 ashadeepjpr2003@gmail.com,
 www.ashadeep.org

Ref. आशादीप संस्थान/346/रुंधंड रोड/2022-23

Date 22/06/22

सेवा में

CEM
 Process
 276

Commissioner

AWAS BHAWAN RAJASTHAN HOUSING BOARD,
 Jan Path, Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan
 302005

विषय:- राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि आवंटन नीति -2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र -अ में आवश्यक दस्तावेजों व आवेदन शुल्क सहित आशा दीप संस्थान द्वारा संचालित आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम को जमीन आवंटन करने के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है। आशा दीप संस्थान जयपुर शहर की स्वयं सेवी संस्थान है। जो कि 20/202 कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर में आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हैं जिसमें वर्तमान में 50 वृद्धजन 20 महिलाये व 30 पुरुष आवासित है। संस्थान द्वारा वृद्धजनों की निःशुल्क रहने भोजन,आवास,मेडिकल,दवाईया की व्यवस्था की जा रही है। व पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करवाती है। जिस से वृद्धजनों को तनाव मुक्त रह कर एक परिवार की भांति अपना जीवन यापन कर सकें। संस्थान का व्यय आम जन सहयोग व दानदाताओं के माध्यम से व संस्थान प्रबन्धन द्वारा चलाया जा रहा है। अतः आप से आशा करते है व संस्थान को राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि आवंटन नीति -2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र -अ में आवश्यक दस्तावेजों व आवेदन शुल्क सहित आशा दीप संस्थान द्वारा संचालित आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम को जमीन आवंटन करने के क्रम में जमीन आवंटन करने की कृपा करे।

AHO
 Yaj
 22/06
 AAO
 22/6/22

For Ashadeep Sansthan

Wdev

अध्यक्ष

President

हरदेव शर्मा





रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -प्रत्र

कमांक 596 / जयपुर / 2003-04

यह प्रमाणित किया जाता है कि आशा फॉर पोजिटिव वुमेन जयपुर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2003 को किया गया है।

अब इस संस्था का नाम आशा दीप संस्थान जयपुर कर दिया गया है यह परिवर्तन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 1958 की धारा 12 प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण -प्रत्र आज दिनांक 04.03.2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील के साथ जयपुर को जारी किया गया है।



(रजिस्ट्रार संस्थाए)
जयपुर (जयपुर)

25

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 596 जयपुर/2003-04

यह प्रमाणित किया जाता है कि ASHA
For Positive Women जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय को सील से आज
दिनांक 20 माह दिसम्बर सन दो हजार 2003-04
को जयपुर में किया गया।



[Handwritten Signature]
रजिस्ट्रार संस्था
रजिस्ट्रार संस्था
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1. © 2374969 2751352
2751417



(2)

प्रपत्र-अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1-	संस्था/संगठन का नाम	आशा दीप संस्थान
2-	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	हरदेव शर्मा
3-	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी. 9828521541	20/202, कावेरी पथ मानसरोवर गायपुर - 302020, 9887695733
4-	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बृहदाक्षम के फ्लैट
5-	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	500 वर्ग गज मानसरोवर गायपुर
6-	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	500 वर्ग मी.
7-	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	समाज के सभी वर्गों को
8-	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	-
9-	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है।
	ii- बाईलॉज/रेग्युलेशन	॥
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट	॥
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	॥ संलग्न है।
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	॥
	vi- रु. 5900/- (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	Ch. No. 440798 D.D. No. 000017 BANK. A. D. BANKERS 5900/-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 24/06/22

स्थान : गायपुर

नाम व पद : हरदेव शर्मा (अध्यक्ष)

For Ashadeep Sansthan

Wdew
President

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

